उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-84/1658 /एक-1-2016-5(53)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-2377/सात-स0भू0अ0-2016, दिनाँक 16.11.2016 में उल्लिखित है कि ग्राम लखहरा, परगना अठेहा, तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में खलिहान के नाम दर्ज गाटा संख्या 630 रकबा 0.506 हे0 भूमि को ग्राम लखहरा, परगना अठेहा, तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ स्थित गाटा संख्या 318 रकबा 0.367 हे0 एवं गाटा संख्या 319 मि0 रकबा 0.139 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.506 हे0 बंजर खाते की भूमि को खलिहान खाते के रूप में श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रस्ताव एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की संस्तुति के आलोक में सार्वजनिक प्रयोग खलिहान खाते की भूमि को बंजर भूमि से विनिमय के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम लखहरा, परगना अठेहा, तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ स्थित खलिहान खाते की भूमि गाटा संख्या 630 रकबा 0.506 हे0 श्रेणी 6(4) जो अन्य कारणों से अकृषित हों, का श्रेणी परिवर्तन एवं धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) खलिहान भूमि के मध्य 1000 के0वी0 विद्युत लाइन होने के कारण फसल, मनुष्य व पशु आदि सुरक्षित नहीं है, मड़ाई आदि का कार्य न हो पाने के दृष्टिगत लोक उपयोगिता के आलोक में खलिहान भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है।

(2) खलिहान भूमि का श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जा रहा है।

(3) गाटा संख्या 630 रकबा 0.506 हे0 श्रेणी 6(4) खलिहान खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर बंजर खाते में दर्ज किये जाने तथा उपयोगिता के आधार पर बंजर खाते की भूमि गाटा संख्या 319 मि0 रकबा 0.139 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.506 हे0 श्रेणी 5-2 का विनिमय कर खलिहान दर्ज किया जायेगा।

(4) लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. कलेक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पटट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायेंगे तथा प्रत्येक

-2-

shasnadesh.up.nic.in

स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1658(1)/एक-1-2016-5(53)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र संख्या जी-425/5-34ए/2016 दिनांक 30.11.2016 के क्रम में।
2. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. कलेक्टर, प्रतापगढ़।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in